न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 126/2022 राजस्व वाद

1. कृष्णगोपाल पुत्र श्री लाभशंकर ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. ताराशंकर पुत्र श्री लाभशंकर ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. पं. भारवी जोशी पुत्र श्री लाभशंकर ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी– माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादी

उपस्थित :–
1. श्री अशोक कुमार लखारा —अधिवक्ता प्रार्थी / वादी
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक— 21.11.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्व धारा 88, 89 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नमबर 61 इगसठ रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी जो कि वादीगण की भूमि की पिलाई हेतु नाडी नामी पुषकरणी बनी हुई है। वादीगण द्वारा दिंनाक 01 एक मई 2021 दो हजार इक्कीस को पटवार हल्का के पास गये तो जानकारी मे आया कि वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी जो कि नाडी पुषकरणी बनी हुई है, लेकिन राजस्व रेकार्ड मे गै.मु. पाल दर्ज है। कि इस पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो वादीगण को जानकारी मे आया कि उक्त भूमि जो कि पाल नही होकर पाल नामी नाडी पुषकरणी है , जो कि भू प्रबंध सेटलमेन्ट संवत 2024 के रेकार्ड मे भी इन्द्राज है, लेकिन राजस्व रेकार्ड मे गै.मु. पाल दर्ज होने से वादीगण के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष दस्तावेजात पेश कर उक्त गै.मु. पाल को हटाकर पुषकरणी नाडी दर्ज करने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी हर बार टालमटोल करते रहे व दिनांक 10 दस सितम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को कहने पर इंकार कर सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी व अंत मे वादी द्वारा प्रार्थना दर्ज करते हुए सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नमबर 61 इगसठ रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि की किस्म गै.मु पाल को के बजाय पुषकरणी नाडी के रूप मे दर्ज करायी जाने का निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया व मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी नकल, सेटलमेन्ट विभाग की नकले आदि को प्रदर्शित करवायी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया . मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 61 रकबा 0.2529 हैक्टयर जो कि सेटलमेन्ट के समय पुषकरणी दर्ज है, मौके पर कोई पाल भी नही है राजस्व रेकार्ड मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:33:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

आराजी नमबर 61 इगसठ रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो

पुषकरणी नाडी के बजाय गै.मु. पाल गलत तौर दर्ज हुआ है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: **आदेश** ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 61 रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि की किस्म गै.मु पाल पुष्करणी नाडी के रूप मे दर्ज की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें व इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(महिपाल सिंह)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:33:17 IST
Reason: SelfAttested